

फर्द अहकाम

बाबूलाल

बनाम

जगदीश वगेरहा

वाद संख्या 193 / 2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
19.09.2019	यह वाद पत्र वादी की ओर से एडवोकेट प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी किया जाकर पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.2019 को पेश हो। (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
15/10/19	पत्रावली पेश हुई। <u>स्कील चादी उपरिपत्र</u> पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तलबी/ <u>स्कील चादी उपरिपत्र</u> को पेश दिनांक <u>17/11/19</u> को पेश <u>UP</u> (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
6/11/19	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली बाबूलाल वादी की ओर से एक प्रार्थना क्रमांक आदेश 23 क्रमांक। उपरिपत्र द्वारा 15/10/19 को पेश किया गया। पत्रावली पेश हुई पर पत्रावली का पत्र पेश हुआ चादी स्वयं उपरिपत्र। पत्रावली पेश वादी स्कील द्वारा की गई। प्रस्तुत प्रार्थना के अंतर्गत किण्वण पत्रावली के अंतर्गत राजीनामा से युक्त है इसीलिये प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं पत्रावली आज ही तलबी कर बाद को विद्वा कर स्वीकृत किया जाये। स्कील व वादी के निवेदन पर प्रस्तुत प्रार्थना 23 क्रमांक पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करण पर प्रस्तुत प्रार्थना का 023 क्रमांक। चारा 15/10/19 को विद्वा करण की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा वाद स्वीकृत किया जाता है पत्रावली पेश हुए प्रकरण के अंतर्गत को ही वाद प्रण दायित्व स्वीकृत है <u>UP</u> (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

वर्तमान में प्रकरण
नियंत्रित है

